

बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बैली रोड), पटना – 800001

साक्षात्कार कार्यक्रम

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के अधीन राजकीय पोलिटेक्निक/राजकीय महिला पोलिटेक्निक संस्थानों में गणित विषय के व्याख्याता के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या – 22/2020 के अन्तर्गत व्याख्याता, गणित लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश –

दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समय: 10:30 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समय: 2:30 बजे अपराह्न से)
	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
सोमवार 15.05.2023	220008, 220012, 220026, 220041, 220042, 220053, 220063, 220072, 220073, 220095, 220107, 220153, 220205, 220210, 220216, 220230, 220249, 220310, 220344, 220355, 220382, 220429	220434, 220447, 220456, 220461, 220502, 220528, 220536, 220538, 220546, 220548, 220553, 220557, 220559, 220569, 220571, 220580, 220590, 220596, 220598, 220599, 220612, 220637
मंगलवार 16.05.2023	220639, 220659, 220669, 220676, 220708, 220718, 220723, 220733, 220822, 220823, 220843, 220844, 220858, 220944, 220953, 221000, 221012, 221046, 221048, 221052, 221071, 221073	221087, 221091, 221092, 221097, 221103, 221135, 221171, 221179, 221186, 221189, 221194, 221209, 221228, 221237, 221251, 221269, 221277, 221281, 221283, 221329, 221340, 221350
बुधवार 17.05.2023	221355, 221366, 221396, 221399, 221409, 221411, 221418, 221434, 221465, 221482, 221483, 221504, 221526, 221534, 221535, 221538, 221544, 221562, 221586, 221614, 221622, 221660, 221667, 221676	221691, 221719, 221721, 221750, 221794, 221796, 221797, 221806, 221823, 221839, 221854, 221918, 221923, 221933, 221950, 222003, 222004, 222061, 222073, 222078, 222080, 220167

02. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र साक्षात्कार प्रारम्भ होने की तिथि के पूर्व से आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक (Roll No.) डालकर डाउनलोड कर साक्षात्कार में उपस्थित हो सकते हैं। साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। आयोग के उक्त वेबसाईट पर (i) आवेदन पत्र का सार प्रपत्र – I एवं (ii) परीक्षावार प्राप्तांक, प्रतिशत श्रेणी एवं वांछित अनुभव विवरणी प्रपत्र – II उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है। प्रपत्र – I एवं प्रपत्र – II में उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली जानकारियाँ/सूचनाएँ/दावे से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र मूल में सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारों की अहंता/अंक गणना प्रभावित होगी तथा इस सम्बन्ध में पुनः किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा एवं तत्सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।
03. साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन एवं साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित अपने मूल आवेदन में योग्यता सम्बन्धी दावे/सूचना से सम्बन्धित, विज्ञापन की कंडिका – 8 नोट- 2 (xii) निम्नांकित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की स्वअभिप्राप्तियाँ निम्नांकित क्रमानुसार दो सेट (अलग-अलग) में भी लाना अनिवार्य होगा:-
- (i) जन्म तिथि के साझे के लिए मैट्रिक का प्रमाण-पत्र/अंक प्रमाण-पत्र (x) प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त प्रमाण पत्र में उनका नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम सही है।
 - (ii) स्नातक के सभी वर्ष/सेमेस्टर का अंक पत्र प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
 - (iii) स्नातक का डिग्री प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
 - (iv) स्नातकोत्तर के सभी वर्ष/सेमेस्टर का अंक पत्र प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उनका उक्त अंक पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत है।
 - (v) स्नातकोत्तर का डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उनका उक्त प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत है।
 - (vi) यदि आपके स्नातक/स्नातकोत्तर अंक पत्र/डिग्री प्रमाण पत्र में CGPA/DGPA/ YGPA/ OGPA/GPA/CPI इत्यादि अंकित है तो सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय से उक्त ग्रेडिंग प्रणाली (CGPA/DGPA/YGPA/OGPA/ GPA/CPI) को Percentage में बदलने का Conversion formula/ Certificate प्राप्त कर मूल से सत्यापन हेतु प्रस्तुत कराना (xii) अनिवार्य होगा। उक्त Conversion formula/Certificate संलग्न नहीं करने की स्थिति में विज्ञापन में अंकित नोट:- “बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। बोर्ड/विश्वविद्यालय के नियमावली नहीं रहने की स्थिति में AICTE द्वारा CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला मान्य होगा।” के आधार पर कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थियों को कोई आपत्ति नहीं होगी।
 - (vii) उम्मीदवार स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष होने का प्रमाण पत्र लाना सुनिश्चित करें। (अंक पत्र/प्रमाण पत्र में प्रथम श्रेणी अंकित नहीं होने की स्थिति में)
 - (viii) पीएच.डी. उत्तीर्णता सम्बन्धी अधिसूचना (Notification) (विज्ञापन के आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत) दावा करने की स्थिति में प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
 - (ix) पीएच.डी. उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (विज्ञापन के आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत) दावा करने की स्थिति में प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

